उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
निकट राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
Near Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005

पत्रांक: 1795/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉक: 21–03–2025

दिनांक : 21 मार्च, 2025
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की सत्ताईसवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉं

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की सत्ताईसवीं बैठक डा. एस.के. सिंह, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 21 मार्च, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक, गेहू प्रजनक एवं पादप रोग वैज्ञानिक; आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के धान प्रजनक एवं मौसम वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; कृषि विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग; उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, लखनऊ के प्रतिनिधि तथा उपकार के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों/अधिकारियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

<u>आगामी सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (21–27 मार्च, 2025)</u>

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह के आरंभिक चरण में 22 मार्च तक प्रदेश के विंध्य, पूर्वी मैदानी एवं मध्य मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में तड़ित झंझावात एवं झोंकेदार हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ कहीं –कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। इस सप्ताह के आरंभिक चरण में 22 मार्च तक प्रदेश के विंध्य, पूर्वी मैदानी एवं मध्य मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में तड़ित झंझावात (वज्रपात) एवं झोंकेदार हवाओं (30–40 किमी प्रति घंटा) के साथ कहीं –कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है।

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के पूर्वी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास तथा दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में यह सामान्य से (2–4 डिग्री सेल्सियस) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (1–2 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस; मध्य मैदानी एवं उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र दक्षिणी भाग तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस; उत्तर-पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के

पूर्वी भाग तथा विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

आगामी द्वितीय सप्ताह के मौसम का दृष्टिकोण (28 मार्च 2025-03 अप्रैल 2025)

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में कोई प्रभावी वर्षा होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं संलग्न पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (2-4 डिग्री सेल्सियस) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (1-2 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस; दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 37 से 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई, पश्चिमी मैदानी, मध्य मैदानी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से आंशिक रूप से (1-2 डिग्री सेल्सियस) अधिक रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस; उत्तर-पूर्वी मैदानी एवं मध्य मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी-पूर्वी भाग तथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 01 मार्च से आज दिनांक 21.03.2025 तक ओलावृष्टि से कानपुर नगर में 1 किसान की 0.145 है. फसल, मथुरा में 4,367 किसानों की 1,241 है. फसल तथा सहारनुपर में 10 किसानों की 2.94 है. फसल क्षति हुई। इस प्रकार पूरे प्रदेश में 4,378 किसानों की 1,244.09 है. फसल क्षति हुई।

कृषि विभाग, उ.प्र. द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल जायद की बुवाई का लक्ष्य 14.28 लाख हे. के सापेक्ष कुल जायद फसलों की बुवाई 6.70 लाख हे. में हुई है जो लक्ष्य का 46.94 प्रतिशत है। मक्का के आच्छादन लक्ष्य 4.31 लाख हे. के सापेक्ष 2.67 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 61.92 प्रतिशत है। बाजरा के आच्छादन लक्ष्य 1.15 लाख हे. के सापेक्ष 0.083 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 7.24 प्रतिशत है। मूंग के आच्छादन लक्ष्य 2.0 लाख के सापेक्ष 0.62 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 31.23 प्रतिशत है। उर्द के लक्ष्य 0.9 लाख हे. के सापेक्ष 0.56 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 62.34 प्रतिशत है। सूरजमुखी के लक्ष्य 0.04 लाख हे. के सापेक्ष 0.002 लाख हे. में बुआई हुई जो लक्ष्य का 7.00 प्रतिशत है। चेना की बुवाई लक्ष्य 0.012 लाख हे. के सापेक्ष 0.0047 लाख हे. में बुवाई हुई है जो लक्ष्य का 39.47 प्रतिशत है। जायद सब्जियों के 2.19 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 1.45 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 66.03 प्रतिशत है। मूंगफली के 2.09 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.65 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 31.06 प्रतिशत है। हरा चारा के 1.24 लाख हे. लक्ष्य के सापेक्ष 0.66 लाख हे. में बुवाई हुई जो लक्ष्य का 52.45 प्रतिशत है।

मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को फसल प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- सुरक्षा की दृष्टि से आग से बचाव हेतु गेहूं एवं जौ की कटाई के बाद फसल के गट्ठरों को बिजली के तार के नीचे न रखें।
- तापमान बढ़ने के पूर्वानुमान के दृष्टिगत देर से बोये गये गेहूँ में 0.5-1 प्रतिशत पोटैशियम नाईट्रेट का पर्णीय छिड़काव पुष्पावस्था व दाना भरने की अवस्था में करें। खेत में नमी बनाये रखने के लिये 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें।
- जो खेत खाली हैं उन खेतों का मृदा परीक्षण करा लें तथा मृदा परीक्षण के आधार पर ही संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें।
- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेषों को जलाना प्रतिबन्धित है साथ ही साथ कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत किसान फसल अवशेषों को खेतों में कदापि न जलाएं। उपकार तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित जैविक फॉरमुलेशन हेलो-केयर का प्रयोग कर खेत में ही फसल अवशेषों को 21 से 24 दिन में सड़ाया जा सकता है जिससे फसल अवशेष का जीवांश कार्बन और पोषक तत्वों को मृदा में पुर्नचक्रण होता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हेलो-केयर केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ पर उपलब्ध है जहां से किसान भाई इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- आम के पाऊडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिये टाईडिमार्फ अथवा पेनकोनाजोल अथवा फेनारीमॉल 1 मि.ली. प्रति ली. पानी अथवा सल्फेक्स पाऊडर 2 ग्रा. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम की फसल में भुनगा कीट का प्रकोप दिखाई पड़ने पर इमिडाक्लोप्रिड अथवा क्यूनॉलफॉस 2 मि.ली. को प्रति ली. पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करें।
- बोई जाने वाली फसलों के बीजोपचार हेतु 2.5 ग्राम थीरम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 प्रतिशत 4 ग्रा. डब्लू.पी. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से प्रयोग करें तथा दलहनी फसलों को राइजोबियम कल्चर से अवश्य उपचारित करें।

जायद फसलों की खेती

- जायद मक्के की फसल को 5-6 सिंचाई आवश्यक होती है अतः 10-12 दिन के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें तथा खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई-गुड़ाई करें।
- जायद मक्के में मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। मृदा परीक्षण न होने की दशा में 80:40:40 कि.ग्रा. नत्रजन, फास्फोरस व पोटाश की दर से करें।
- ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई के बाद पहली सिंचाई जमाव के पूर्ण होने पर करें तथा बुवाई के 15 से 20 दिन बाद निराई-गुड़ाई करें।
- उर्द में थ्रिप्स के लिये निगरानी रखें। प्रथम सिंचाई के पहले नियंत्रण हेतु सुरक्षात्मक जैविक कीटनाशक नीम ऑयल का छिड़काव करें।
- मूंग की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु अधिक उपज वाली व पीला मोजैक अवरोधी संस्तुत किस्मों यथा के.एम.-2195 (स्वाती) आई.पी.एम.205-7 (विराट), आई.पी.एम.410-3 (शिखा), कनिका, वर्षा, आजाद मूंग-1, आई.पी.एम. 312-20, आई.पी.एम.409-4 (हीरा), वसुधा, सूर्या तथा आजाद मूंग-1 की बुवाई यथाशीघ्र समाप्त करें।
- दलहनी फसलों में बीज को 200 ग्रा./10 कि.ग्रा. राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुवाई करें।
- जायद में सूरजमुखी की विरलीकरण कर पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 से.मी. सुनिश्चित करें।

- नदी के किनारे बोये जाने वाले खरबूजा की संस्तुत प्रजातियों काशी मधु, पूसा शरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाब-सुनहरी तथा संकर किस्मों पंजाब संकर तथा तरबूज की संस्तुत प्रजातियों सूगर बेबी, दुर्गापुर केसर, अर्का मानिक, दुर्गापुर मीठा, संकर किस्मों आर्का ज्योति की बुवाई करें।
- जायद फसलों की बुवाई लाइन में ही करें ताकि अंतः शस्य क्रियायें आसानी से की जा सकें।

गेहूँ की खेती

- बीज का उत्पादन कर रहे किसान, गेहूँ की बोई गई प्रजाति की शुद्धता बनाये रखने के लिये रोगिंग (अवांछित पौधों को निकाल दें) करें।
- गेहूँ की फसल शीघ्र पकने की अवस्था में है। अतः किसान भाई फसल कटाई-मड़ाई के उपरांत भण्डारण से पूर्व अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक न हो इसके लिये किसान भाई दानों को दांतों के नीचे दबाने से कट की आवाज आने पर इसे भण्डारण करने योग्य समझें।
- भण्डारण गृह के दीवारों एवं फर्श आदि पर मैलाथियान 50 प्रतिशत ई.सी. को 1:100 के अनुपात में पानी में घोलकर 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करें तथा बोरों को घोल में 10 से 15 मिनट डुबोने के उपरांत सुखाकर शोधित कर लें।
- सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु इस्पात से बनी बखारियों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है।
- नीम की पत्तियों को छाया में सुखाकर अनाज के साथ भण्डारित करने से भण्डारण कीट/रोग की समस्या कम हो जाती है।

गन्ना की खेती

- नवीन उन्नत किस्मों यथा को.शा.-13235, को.लख.-14201, को.-15023, को.शा.-17231, को.शा.-18231, को.लख.-16202, को. शा.-16233, को. शा.-14233, को.-0118 तथा को.लख.-94184 आदि की यथाशीघ्र बुवाई करें।
- बंसतकालीन गन्ने के साथ अंतःफसल के रूप में मूंग की बुवाई करें।
- बसंतकालीन व फरवरी में बोये गये गन्ने में गुड़ाई करें व पेड़ी की फसल सूखी पत्तियों का बिछावन (मल्चिंग) करें।
- बसंतकालीन गन्ना की बुवाई करते समय मृदा उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा 4 कि.ग्रा. प्रति एकड़ की दर से मृदा में प्रयोग करें।
- बीज गन्ने के उपचार हेतु कार्बेन्डाजिम अथवा थायोफिनेट मिथाइल 0.1 प्रतिशत का प्रयोग करें।
- बसंतकालीन बुवाई हेतु 05 टन प्रति एकड़ की दर से कार्बनिक खाद (गोबर खाद या प्रेसमड) के साथ 72 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 32 कि.ग्रा. फास्फोरस तथा 24 कि.ग्रा. पोटाश एवं 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। पेड़ी गन्ने में संस्तुत नत्रजन की मात्रा का 25 प्रतिशत अधिक मात्रा का उपयोग करें।
- बीज गन्ना उत्पादन वाले कृषक बीज प्रजातियों का रिकार्ड रखें तथा मानकों का पालन करें जिससे शुद्ध एवं स्वस्थ बीज उत्पादन हो सकें।
- जिस खेत में गन्ने की पेड़ी रखनी है वहां जमीन की सतह से कटाई करें तथा 10 दिन के अंदर पानी लगाकर आवश्यक संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें।
- गन्ने में काला चिकटा का प्रकोप होने पर 5 लीटर क्लोरपाईरीफॉस 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

सब्जियों की खेती

- रबी मौसम में बोई गयी लहसुन एवं प्याज की फसल पक गयी होगी, उसकी खुदाई करें। खुदाई से 12-15 दिन पहले सिंचाई बन्द कर दें।
- जायद मौसम में भिण्डी, लोबिया एवं कद्दूवर्गीय फसलें यथा कद्दू, लौकी, तरोई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज तथा अन्य सब्जी फसलों की बुवाई का समय है, जिन किसान भाइयों ने उनकी बुवाई नही की है वह अतिशीघ्र बुवाई करें।
- जायद मौसम की कद्दूवर्गीय फसलों में मृदा परीक्षण के आधार पर अथवा 40:20:20 किग्रा0 प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटास का बुवाई के समय प्रयोग करें।
- बैंगन को तना और फलबेधक कीट से बचाव के लिए एसिटिलकोलाइन 0.4 प्रतिशत प्रति लीटर पानी में घोलकर 10-15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- फरवरी माह में बोई गयी कद्दूवर्गीय फसलों में यदि हरा फुदका कीट 10 की संख्या में प्रति हिल दिखाई दे तो फल तुड़ाई उपरान्त फसल पर इमिडाक्लोरोपिड 30.5 प्रतिशत एस.सी. 1.0 मिली. दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- सुनिश्चित सिंचाई की दशा में सूरन, बंडा व अरबी की बुवाई करें।

बागवानी

- आम के भुनुगा कीट की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 30.5 प्रतिशत एस.सी. (0.3 मिली0/लीटर) एवं प्रोफेनोफास 50 प्रतिशत ई.सी. (1 मिली0/लीटर) पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- आम के पाउड्री मिल्डयू रोग की रोकथाम के लिए डाइनोकैप (कैराथीन) 1.0 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन

- पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी (एफ.एम.डी.) का टीकाकरण अवश्य करायें। यह टीकाकरण पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क किसानों के द्वार पर जाकर पशुपालन विभाग द्वारा लगाया जा रहा है।
- बकरियों में पी.पी.आर. का टीकाकरण पशुचिकित्सालयों पर निःशुल्क पशुपालन विभाग द्वारा लगाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यान्वित भेड़, बकरी, सूकर, कुक्कुट, खाद्य चारा परियोजना में रोजगार के लिये पशुपालन विभाग/पशुचिकित्सालयों से सम्पर्क करें।
- जायद में हरा चारा लेने के लिये ज्वार एवं मक्का की समय से बुवाई करें।
- चारा के लिये ली गई फसलों में सिंचाई अवश्य करें, बिना सिंचाई की हुई फसल को चारे के लिये उपयोग न करें।
- पशुओं को अंतः कृमिनाशक एवं बाह्य परजीवीनाशक पशुचिकित्सक की सलाह से आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें।
- पशुओं को केवल हरा चारा न खिलायें उनको 60:40 के अनुपात में सूखा एवं हरा चारा मिलाकर खिलायें।
- पशुओं को संतुलित आहार के साथ खनिज मिश्रण (50 ग्रा. प्रति व्यस्क पशु एवं 25 ग्रा. छोटे पशु) अवश्य खिलायें एवं नमक का चाटन भी करायें।
- दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिये पूरा दूध निकालें और दूध दुहान के बाद थनों को कीटाणुनाशक पोटेशियम परमैंगनेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से साफ करें।

- कृषकों/पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सभी कृषक/पशुपालक टोल फ्री हेल्पलाइन नं. -1962 पर सम्पर्क पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

मत्स्य पालन

- मछलियाँ छोटी हो तो जाल चलाकर मछलियों के स्वास्थ्य/संख्या/आकार आदि की जाँच कर लें तथा नियमित आहार देना प्रारंभ कर दें। तालाब में नियमित रूप से चूने का छिड़काव करें।
- तालाब की तैयारी में जल निकासी और तालाब को सुखाने के उपरान्त तालाब को जोत कर तालाब में पानी भरने से पूर्व सरसों की खली, चूना, गोबर एवं रासायनिक उर्वरक का छिड़काव मत्स्य बीज संचयन से 15 दिन पूर्व करें।
- यदि तालाबों की जल निकासी संभव न हो तो खरपतवार निकाल कर अवांछित कीड़ों-मकोड़ों को बार-बार जाल चलाकर निकालें अथवा इन्हें मारने के लिए ब्यूटाक्स का प्रयोग 80-100 एम.एल.प्रति एकड़ की दर से धूप रहने पर करना चाहिए।
- तालाब में बीज संचय, खाद (कम्पोस्ट) डालने के 7-10 दिनों के बाद की जानी चाहिए। खाद डालने के बाद जब पानी का रंग भूरा हरा हो जाये तो यह पानी में प्राकृतिक भोजन की उपस्थिति का संकेत है।
- मार्च माह में मत्स्य बीज के संचयन में दिन के गर्म समय को टाल देना चाहिए। सुबह 9 बजे से पूर्व संचय करना चाहिए।
- भारतीय मेजर कार्प मत्स्य बीज संचयन 8,000-10,000 फींगरलिंग/हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। मत्स्य बीज संचयन का कार्य 15 मार्च से 30 मार्च तक कर लें।
- पंगेशियस प्रजाति की मछलियों के संचयन का यह आदर्श महीना है। 15 ग्राम से 20 ग्राम के अंगुलिकाओं का संचयन 20,000 से 25,000 प्रति हेक्टेयर के दर से किया जाना उचित है।
- उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ की स्थापित हैचरियों में कॉमन कार्प प्रजाति का बीज उपलब्ध है, प्राप्त करने हेतु अपने जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय से सम्पर्क करें।

रेशम पालन

- बसंत शहतूती व्यवसायिक फसल, 2025 एवं बसंत एरी व्यवसायिक फसल का चाकी कीटपालन कार्य प्रगति पर है। इस हेतु कीटपालकों/ कृषकों को सुझाव दिया जाता है कीटपालन गृह में आवश्यक तापमान एवं आद्रता बनाए रखें तथा कीटों की साफ-सफाई एवं फीडिंग समय से करें।
- समस्त कृषकों/कीटपालकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कीटपालन गृह एवं उपकरण के विशुद्धीकरण का कार्य पूर्ण कर चुके होगें, जिनका कार्य अवशेष है वह यथाशीघ्र विशुद्धीकरण का कार्य पूर्ण कर ई-डिस्टिक पोर्टल पर विभागीय यू.आर.एल. *http:sericulture.eservicesup.in* पर पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाण्ड मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नम्बर 7388305554 पर सम्पर्क करें।

वानिकी

- पुराने रोपे गये पौधों में निराई गुड़ाई तथा सिंचाई के साथ-साथ मल्चिंग भी कर दें।

आपदा प्रबंधन

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसान भाईयों को यह सलाह दी जाती है कि खेतों में काम करते समय एवं बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में रखें।

- सुबह जल्दी या शाम को ही खेतों में काम करें। दोपहर की धूप में बाहर जाने से बचें।
- सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से खेतों एवं खलिहानों के आस-पास धूमपान न करें।
- दिन भर में अत्यधिक तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ, शरबत, शिकंजी इत्यादि का सेवन करें।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 03 अप्रैल, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट **upcar.up.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां किसान मित्र ए.आई. चैट बॉट **www.kisanmitraup.ai** पर भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इस पर भी सवाल पूछ सकते हैं।
- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल **upcar12@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

21.3.25

(एस.के.सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।

17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक।
43. कृषि विभाग के सभी उप कृषि निदेशक।
44. समस्त जिला कृषि अधिकारी।
45. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
46. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.प्र।
47. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
48. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
49. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
50. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

21-3-25

(विनोद कुमार तिवारी)
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024-25 की सत्ताईसवीं बैठक दिनांक 21 मार्च, 2025 की उपस्थिति

1. श्री एस.के. सिंह, सचिव, उपकार, लखनऊ।
2. डा. संजीव, उप महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
3. डा. विनोद कुमार तिवारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ
4. डा. जय पाल, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
5. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
6. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ (ऑनलाइन)।
7. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
8. श्री पी.के. नायक, एसटीए-ए, धान्य फसलें, कृषि विभाग, उ.प्र.।
9. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
10. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
11. डा. समीर कुमार विश्वास, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
12. डा. सोमवीर सिंह, सह प्राध्यापक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
13. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम विज्ञान विभाग), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
14. डा. संजय कुमार मिश्र, उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
15. श्री गिरीश त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश
16. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आवजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)।
17. डा. नेत्रपाल यादव, उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विभाग, लखनऊ (ऑनलाइन)।
18. श्रीमती प्रियंका द्विवेदी, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट, उ.प्र. डिजास्टर मैनेजमेंट एथारिटी, प्रथम तल पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।